



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

## दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

## THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : Plexh/Cir/277

दिनांक : 07.07.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) के संबंध में – उत्पत्ति नियमों की अधिसूचना (15 जुलाई 2026 से प्रभावी)।**

भारत सरकार ने दिनांक 3 जुलाई 2026 को अधिसूचना संख्या 62/2026-सीमा शुल्क (एनटी) जारी कर सीमा शुल्क टैरिफ (भारत और ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के अंतर्गत माल की उत्पत्ति का निर्धारण) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। ये नियम 15 जुलाई 2026 से लागू होंगे।

इस अधिसूचना में वस्तुओं की उत्पत्ति निर्धारित करने के लिए रूपरेखा और भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) के तहत तरजीही टैरिफ लाभ प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है।

**मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:**

- मूल वस्तुओं के निर्धारण के लिए मानदंड, जिनमें पूर्णतः प्राप्त, पूर्णतः उत्पादित और उत्पाद-विशिष्ट मूल नियम शामिल हैं।
- पात्र उत्पादों के लिए उत्पाद विशिष्ट नियम (पीएसआर) और योग्यता मूल्य सामग्री (क्यूवीसी) संबंधी आवश्यकताएं।  
उत्पत्ति प्रमाण पत्र/उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी करने और स्वीकार करने की प्रक्रियाएं।  
निर्यातकों, उत्पादकों और आयातकों के लिए दस्तावेज़ीकरण और अभिलेख-संरक्षण संबंधी आवश्यकताएँ।  
उत्पत्ति सत्यापन, सीमा शुल्क सहयोग और आयात के बाद सत्यापन से संबंधित प्रावधान।
- सहायक सामग्री, पैकेजिंग और अप्रत्यक्ष सामग्रियों के गैर-परिवर्तन, संचय, सहनशीलता और उपचार पर दिशानिर्देश।
- अधिमाम्य शुल्क व्यवहार का दावा करने की शर्तें और देर से किए गए दावों, धनवापसीयों और गलत दावों के मामले में दंड के प्रावधान।

यूनाइटेड किंगडम को प्लास्टिक उत्पादों का निर्यात करने वाले या निर्यात करने का इरादा रखने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे संलग्न अधिसूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और भारत-यूके सीईटीए के तहत टैरिफ रियायतों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए लागू मूल नियमों और अनुपालन आवश्यकताओं से स्वयं को परिचित कराएं।

यह अधिसूचना आपकी जानकारी के लिए संलग्न है।

[https://membership.plasticsepc.org/mails\\_images/202607070303\\_37.pdf](https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202607070303_37.pdf)

सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसकी समीक्षा करें और समझौते के तहत निर्यात करते समय निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

सम्मान

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल